न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
16/5/22	पत्रावली आज वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि वादीगण उक्त मुकदमा को चलाना नहीं चाहते हैं। वादीगण अपने दावा को Not Press में खारिज कराना चाहते हैं
	अतः मुकदमा नं. 55/2013 उनवानी राजवीर बनाम श्योसिंह वगै० दावा बाबत तकसीमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
	आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी